हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया
शुक्रवार, 08 जनवरी 2016, नई दिल्ली, पांच प्रदेश, 18 संस्करण
www.livehindustan.com

सामान्य वर्ग में तब्दील किए गए, नाराज स्कूल संघ शुक्रवार को कानूनी राय लेने के लिए बैठक करेग

प्रबंधन-लड़कियों के कोटे का आवेदन रद्द

नई दिल्ली | कार्यालय संवाददाता

नर्सरी दाखिले के लिए मैनेजमेंट और गर्ल चाइल्ड कोटे के सारे आवेदन रद्द हो गए हैं। कोटे की सीटें सामान्य वर्ग की सीटों में तब्दील हो गई हैं। यही नहीं, गर्ल चाइल्ड और सिबलिंग कोटे में अब तक जो पंजीकरण हुए हैं वो सामान्य आवेदनों में तब्दील हो गए हैं। उधर, स्कूल संघ ने शुक्रवार को बैठक बुलाई है।

दरअसल, कोटा समाप्त होने और आवेदन रद्द होने से हर स्कूल में सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए सीटें बढ़ गई हैं। अब अभिभावकों को हर स्कूल में पहले से अधिक मौके मिलेंगे। 21 जनवरी तक आवेदन होगा। ध्यान रहे कि अब तक इन कोटे में जो आवेदन हो चुके हैं, उन्हें लेकर आवेदक अभिभावक कोटे की सीट के लिए दावा नहीं कर सकते हैं।

साल दर साल बढ़ रहा विवाद

- 2007 में दिल्ली सरकार ने नर्सरी दाखिले के मानक बनाने की छूट निजी स्कूलों को दी।
- 2010 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ग के आधार पर मानक बनाने के निर्देश दिए
- 2013 में एलजी ने प्वाइंट सिस्टम पर अपने नियम बनाए। सरकार ने अधिसूचना में कहा कि 2014 तक प्वाइंट सिस्टम लागू रहेगा
- 2014-15 जनवरी से प्रक्रिया शुरू, 100 प्वाइंट का फॉर्मूला बरकरार रखा गया

ट्रांसफर के भी अंक नहीं

दिल्ली सरकार ने ट्रांसफर के अंक को लेकर बड़ा फैसला लिया है। निदेशालय ने स्कूलों को कहा है कि इस वर्ग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसे तुरंत हटाएं। सरकार का तर्क है कि जो बच्चा सालों से दिल्ली में रह रहा है उसे सीट पाने का अधिकार पहले है। हालांकि, सरकार ने कहा कि बड़ी कक्षाओं के दाखिले में ट्रांसफर को महत्वपूर्ण आधार बनाया जा सकता है। बता दें कि अब स्कूलों ने ट्रांसफर के प्वाइंट हटा दिए हैं। जिन्होंने इस वर्ग में आवेदन किया है उन्हें अब इसके अंक नहीं मिलेंगे। उन्हें अन्य वर्ग में अंक मिलेंगे। 31 मार्च तक दाखिले होंगे।

वहीं, इस मसले पर निजी स्कूल दिल्ली सरकार से नाखुश हैं।

एक्शन कमेटी के अध्यक्ष (स्कूल संघ) एसके भट्टाचार्य ने कहा, 'मैनेजमेंट कोटे का मामला हाईकोर्ट में है। 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। ऐसे में सरकार द्वारा कड़ा कदम लेना सही नहीं है। हम बैठक कर आगे की कार्रवाही के लिए कानूनी राय लेंगे।' वहीं, इस निर्णय से अभिभावकों में मिली-जुली प्रतिक्रिया है। अभिभावक संघ मैनेजमेंट कोटा समाप्त किए जाने से खुश है लेकिन गर्ल चाइल्ड कोटा एवं उसके अंक रद्द किए जाने से नाराज है।

एमएम पब्लिक स्कूल में आवेदन करने पहुंची अंजना जायसवाल कहती हैं, 'गर्ल चाइल्ड कोटा रद्द नहीं करना चाहिए था। लड़कियों को शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए कोटा बनाया गया था। इससे फायदा हो रहा था।'